मफ़्स्ल

[ ]ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

[ ]/[ ] ०१/राज. ओम प्रकाश बनाम जितेन्द्र कुमार

2019/002777

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शशिकान्त जोशी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
30/12/19	प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण जानबूझ कर नोटिस तामील नहीं करवा कर, प्रकरण मे विलम्ब कर रहे है। इसलिए बाजदायरी (रेस्टोरेशन) प्रार्थना पत्र पर हमारी बहस सुनी जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र का स्तिारण करें। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी (रेस्टोरेशन)पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम बाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनों पर विश्वास करते हुए एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र बाजदायरी (रेस्टोरेशन) को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। तत्पश्चात बाजदायरी का निस्तारण किया जाता उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथन एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी (रेस्टोरेशन) को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (रेस्टोरेशन) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	